

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 21 जुलाई, 2026

सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2026-27

विषय: राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2026 – 31.03.2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में परामर्श पत्र संख्या 02/2026-27 पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां/प्रस्तुतियां

राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2026 से 31.03.2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में परामर्श पत्र संख्या 02/2026-27 की ओर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा प्राधिकरण ने हितधारकों से टिप्पणियां मांगी थी।

2. इसके जवाब में प्राधिकरण को निम्नलिखित हितधारकों से टिप्पणियां/प्रस्तुतियां प्राप्त हुई हैं:-

क्र. सं.	हितधारक
1	जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएचआईएएल)
2	बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल)
3	अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (एएचएल)
4	एयरलाइंस ऑपरेटर्स कमेटी (एओसी)-हैदराबाद
5	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो)
6	लुफ्थांसा ग्रुप
7	डोमेस्टिक एयर कार्गो एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (डीएसीएआई)
8	बिजनेस एयरक्रॉफ्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन (बीएओए)
9	इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए)
10	एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स (एपीएओ)
11	कंस्ट्रक्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआई)

3 ऊपर बताए अनुसार प्राप्त टिप्पणियां/प्रस्तुतियां सभी संबंधितों की जानकारी के लिए ऐरा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

